2012

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार

केसः पी.यू.सी.एल. बनाम भारत गणराज्य, रीट पीटिशन (सिविल), 196/2001

[पटना में बेघरों एवं आश्रयगृहों की स्थिति– एक रिपोर्ट]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में दिनांक 21 व 22 दिसंबर 2012 की रात्री में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय के रिसर्चरों द्वारा पटना के पी.एम.सी.एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, रेडियो स्टेशन, पटना जं., जी.पी.ओ. गोलंबर होते हुये आर ब्लॉक, वीर चन्द पटेल पथ तक फुटपाथ पर सोने वालों का सर्वे किया गया एवं बातचित की गई।

संपर्क पता

आब्दिन हाउस, फ्रेजर रोड, पटना– 800001, बिहार

दूरभाषः 0612–2200354

ईमेलः bihar.advisor.sccommissioner@gmail.com

ब्लॉगः homelessinbihar.blogspot.com

सर्वे एवं अध्ययन में सहयोग

समन्वयन एवं निर्देशनः

1. रुपेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार।

बेघरों का सर्वे एवं केस अध्ययनः

1. संजय कुमार सिंह, सीनियर रिसर्चर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय।
2. ऋत्विज कुमार, रिसर्चर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय।
3. प्रभाकर कुमार प्रजापति, रिसर्चर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय।
4. पुष्पराज, स्वतंत्र पत्रकार, पटना।
5. जैनेन्द्र कुमार, इन्टर्न, समाजकार्य विद्यार्थी, इग्नू, पटना।

आश्रयगृहों का सर्वेः

1. फादर जोस के., पी.यू.सी.एल. गया।
2. प्रतिभा कुमारी, इन्टर्न, बी.ए.एल.एल.बी., चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवरसीटी, पटना।
3. प्रतिका सिंह, इन्टर्न, बी.ए.एल.एल.बी., एच.एन.बी.यू., गढ़वाल।
4. सुदिप्त पार्थ, इन्टर्न, बी.ए.एल.एल.बी., नेशनल लॉ यूनिवरसीटी, जोधपुर।

रिपोर्ट लेखनः

1. प्रभाकर कुमार प्रजापति, रिसर्चर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय।

विषय सूची

क्रम सं0	शीर्षक	पेज संख्या
1		4

माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार द्वारा 28 दिसंबर 2012 को जारी

पटना में बेघरों एवं आश्रयगृहों की स्थिति

(दिनांकः 21–22 दिसंबर 2012)

संक्षिप्त रिपोर्ट

पटना में इस वर्ष ठंढ को ध्यान में रखते हुये फुटपाथ तथा खुले में रात गुजारने वाले लोगों की स्थिति का पता लगाने तथा उनकी संख्या का आंकलन करने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय से 3 रिसर्चरों (संजय कुमार सिंह, सीनियर रिसर्चर, प्रभाकर कुमार, ऋत्विज कुमार, रिसर्चर) की टीम द्वारा दिनांक 21 व 22 दिसंबर 2012 की रात 10 बजे से सर्वे किया गया। रिसर्चर टीम पी.एम.सी.एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, रेडियो स्टेशन, पटना जं., जी.पी.ओ. गोलंबर होते हुये आर ब्लॉक, वीर चन्द पटेल पथ तक फुटपाथ पर सोने वालों से बातचित किया गया। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग कड़ाके की ठंढ में जीवन और मौत से जूझते हुये रात गुजारने को मजबूर हैं। लोग किसी तरह प्लास्टिक व जूट के बोरी आदि में ठंढ से बचने की नाकाम कोशिश करते हैं।

सलाहकार कार्यालय द्वारा रात्री में कराये गये अध्ययन में यह पता चला कि पी.एम.सी.एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, रेडियो स्टेशन, पटना जं., जी.पी.ओ. गोलंबर होते हुये आर ब्लॉक, वीर चन्द पटेल पथ तक फुटपाथ पर लगभग 1400 लोग प्रतिदिन फूटपाथ पर रात बिताने को मजबूर हैं। यह संख्या पिछले वर्ष इन्हीं स्थानों पर किये गये अध्ययन से प्राप्त संख्या का दोगुना है। यह आंकड़ा काफी चिंताजनक है। पटना शहर में 72 वार्ड हैं। ***सर्वे के दौरान 3 वार्ड का भ्रमण किया गया जिसमें लगभग 1400 बेघर पाये गये जो फूटपाथ पर रात गुजारते हैं। इस आधार पर पुरे पटना में बेघरों की अनुमानित संख्या लगभग 35000 होगी। इसमें पटना के मलीन बस्तियों व झूग्यिों में रहने वाली एक बड़ी आबादी शामिल नहीं है।***

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पटना का जनसंख्या 5,772,804 है। इसमें पटना शहरी क्षेत्र जिसमें कुल 72 वार्ड हैं, की जनसंख्या 2,046,652 है। पटना में सरकार द्वारा कुल 21 रैनबसेरा संचालित हैं, जो किसी भी प्रकार से माननीय कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट आश्रयगृहों से मेल नहीं खाते हैं। उपयुक्त सभी रैनबसेरों का निर्माण 1992 में यात्रीशेड के रुप में कराया गया था जिसे बाद में सरकार द्वारा रैनबसेरा के रुप में प्रस्तुत किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को शहरी बेघरों को ठंड से बचाने के लिये दिनांक 12 दिसंबर 2011 को आदेश दिया था। किसी भी बेघर की ठंढ से मौत की जिम्मेवारी सरकार की होगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कहा गया है कि इस कंपकंपाती ठंड को ध्यान में रखते हुये शहर के उन विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर रात्री में विश्राम करते हैं। तत्पश्चात् ठंड से बचाव के लिये तत्कालिक टेंट, अलाव, गर्म कपड़े एवं कंबल आदि की तत्काल व्यवस्था की जाये। साथ ही बेघरों के लिये निर्मित रात्री विश्राम गृह (स्थायी/अस्थायी) में ठंड से बचाव के लिये उचित व्यवस्था, अलाव, भोजन एवं पानी आदि की व्यवस्था की जाये।

बिहार में बेघरों के लिये आश्रयगृह

राज्य में कुल 51 स्थायी तथा 14 तात्कालिक रैनबसेरा हैं। सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा आश्रयगृहों का दिसंबर 2012 में किये गये सर्वे रिर्पोट से पता चलता है कि लगभग सभी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर तथा पंजीकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकांश आश्रयगृहों में लोगों को शौचालय के लिये भुगतान करना पड़ता है।

आश्रयगृहों की स्थिति

दिनांक 23.01.2012 को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार बिहार के 20 शहरों में आश्रयगृहों के स्थिति का पता लगाने के लिये नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अपने सभी नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 1–3 फरवरी तक राज्य सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा आश्रयगृहों को निरिक्षण किया जायेगा जिसमें उनका समुचित सहयोग किया जाये।

इस निरिक्षण के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह कहा कि लगभग सभी आश्रयगृहों में माननीय कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर, पंजीकरण आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव है। इन आश्रयगृहों में बहुत कम संख्या में बेघर लोग रात्री में रुकते हैं। कई आश्रयगृह अतिक्रमण का शिकार हैं।

पटना में सचिवालय तथा चीना कोठी स्थिति आश्रयगृहों की छत एवं दिवालें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वह कभी भी गिर सकता है। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि कभी–कभी छत से सिमेंट के बड़े टुकड़े गिरते हैं जिससे घायल होने की संभावना बनी रहती है। आश्रयगृहों के बाहर नाली का गंदा पानी बहता है, शौचालय एवं पेयजल की स्थिति भी काफी खराब है।

गया में दिनांक 24, दिसंबर 2012 को सलाहकार कार्यालय के रिसर्चरों द्वारा आश्रयगृहों का किये गये सर्वे के दौरान 6 में से 5 आश्रयगृह बंद पाये गये। आश्रयगृह संख्या 5 के केयरटेकर ने कहा कि यहां रात्री में लोग ठहरते हैं। उसने बेघरों के लिये पंजीयन रजिस्टर दिखाया जिसमें केवल 7 लोगों का नाम लिखा था। आश्रयगृह संख्या 3 के आसपास के लोगों ने बताया कि आश्रयगृह को केयरटेकर द्वारा स्थानीय वेंडरों के सामान रखने में उपयोग किया जाता है जिसके लिये उनसे पैसे लिये जाते हैं।

बेघरों की समस्या को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं इनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय द्वारा निम्नलिखित अनुशंसायें की जाती हैं–**

1. कड़ाके की ठंढ को ध्यान में रखते हुये तथा फुटपाथ पर सोने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुये तात्कालिक टेंट की व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में जल्द–से–जल्द आबादी के हीसाब से आवश्यक सुविधाओं जैसे– पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर, पंजीकरण व्यवस्था आदि के साथ स्थायी आश्रयगृहों का निर्माण करायी जानी चाहिये।
3. बेघरों द्वारा आश्रय गृहों का उपयोग बढ़ाने के लिये इसका समुचित प्रचार प्रसार की जानी चाहिये।
4. आरंभ में बेघरों, फूटपाथ पर सोने वालों को वाहन द्वारा फूटपाथ व सार्वजनिक स्थानों से आश्रय गृहों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
5. शहरों में उन स्थानों को चिन्हित किया जाये जहाँ अधिक संख्या में बेघर फुटपाथ पर सोते हैं।

विस्तृत रिपोर्ट

पटना में इस वर्ष ठंढ को ध्यान में रखते हुये फुटपाथ तथा खुले में रात गुजारने वाले लोगों की स्थिति का पता लगाने तथा उनकी संख्या का आंकलन करने के उद्देश्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय से 3 रिसर्चरों (संजय कुमार सिंह, सीनियर रिसर्चर, प्रभाकर कुमार, ऋत्विज कुमार, रिसर्चर) की टीम द्वारा दिनांक 21 व 22 दिसंबर 2012 की रात 10 बजे से सर्वे किया गया। इस दौरान पटना में मुख्य रुप से रेडियो स्टेशन, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, पी.एम.सी. एच., पटना जंक्शन, करबिगहिया, चिरैयाटांड़ पुल के नीचे, जी.पी.ओ. गोलंबर, मीठापुर पुल के नीचे, हार्डिंग रोड, आर ब्लॉक, वीरचंद पटेल पथ आदि स्थानों का भ्रमण किया गया। रिसर्चर टीम पी.एम.सी. एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, रेडियो स्टेशन, पटना जं., जी.पी.ओ. गोलंबर होते हुये आर ब्लॉक, वीर चन्द पटेल पथ तक फुटपाथ पर सोने वालों से बातचित किया गया। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग कड़ाके की ठंढ में जीवन और मौत से जूझते हुये रात गुजारने को मजबूर हैं। लोग किसी तरह प्लास्टिक व जूट के बोरी आदि में ठंढ से बचने की नाकाम कोशिश करते हैं।

सलाहकार कार्यालय द्वारा रात्री में कराये गये अध्ययन में यह पता चला कि पी.एम.सी.एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, रेडियो स्टेशन, पटना जं., जी.पी.ओ. गोलंबर होते हुये आर ब्लॉक, वीर चन्द पटेल पथ तक फुटपाथ पर लगभग 1400 लोग प्रतिदिन फूटपाथ पर रात बिताने को मजबूर हैं। यह संख्या पिछले वर्ष इन्हीं स्थानों पर किये गये अध्ययन से प्राप्त संख्या का दोगुना है। यह आंकड़ा काफी चिंताजनक है। पटना शहर में 72 वार्ड हैं। सर्वे के दौरान 3 वार्ड का भ्रमण किया गया जिसमें लगभग 1400 बेघर पाये गये जो फूटपाथ पर रात गुजारते हैं। इस आधार पर पुरे पटना में बेघरों की अनुमानित संख्या लगभग 35000 होगी। इसमें पटना के मलीन बस्तियों व झूग्गियों में रहने वाली एक बड़ी आबादी शामिल नहीं है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पटना का जनसंख्या 5,772,804 है। इसमें पटना शहरी क्षेत्र जिसमें कुल 72 वार्ड हैं, की जनसंख्या 2,046,652 है। पटना में सरकार द्वारा कुल 21 रैनबसेरा संचालित हैं, जो किसी भी प्रकार से माननीय कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट आश्रयगृहों से मेल नहीं खाते हैं। उपयुक्त सभी रैनबसेरों का निर्माण 1992 में यात्रीशेड के रुप में कराया गया था जिसे बाद में सरकार द्वारा रैनबसेरा के रुप में प्रस्तुत किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को शहरी बेघरों को ठंड से बचाने के लिये दिनांक 12 दिसंबर 2011 को आदेश दिया था। किसी भी बेघर की ठंढ से मौत की जिम्मेवारी सरकार की होगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में कहा गया है कि इस कंपकंपाती ठंड को ध्यान में रखते हुये शहर के उन विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर रात्री में विश्राम करते हैं। तत्पश्चात ठंड से बचाव के लिये तत्कालिक टेंट, अलाव, गर्म कपड़े एवं कंबल आदि की तत्काल व्यवस्था की जाये। साथ ही बेघरों के लिये निर्मित रात्री विश्राम गृह (स्थायी/अस्थायी) में ठंड से बचाव के लिये उचित व्यवस्था, अलाव, भोजन एवं पानी आदि की व्यवस्था की जाये।

पी.एम.सी.एच., गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, पटना जं. होते हुये आर ब्लॉक तक फुटपाथ पर सोने वालों की संख्या:

क्र.सं.	स्थान	बेघरों की संख्या
1	रेडियो स्टेशन, फ्रेजर रोड से सटे फुटपाथ	100
2	गांधी मैदान, बिस्कोमान भवन के सामने से एस.बी.आइ. व डी.एम. कोठी के सामने तक	100
3	गांधी मैदान, जेपी. गोलंबर के सामने से गांधी मैदान थाना तक	50
4	गांधी मैदान, उद्योग भवन के सामने रिजेन्ट सीनेमा हॉल के सामने तक	100
5	बी.एन. कॉलेज से पी.एम.सी.एच. तक	15

6	गोलघर के पास	50
7	करबिगहिया, रेलवे ऑटो व कार स्टेण्ड	50
8	चिड़ैयाटांड़ पुल के नीचे (पटना जं. की तरफ)	12
9	पटना जं. परिसर व हनुमान मंदिर के सामने	150
10	मीठापुर पुल के नीचे (बी.एस.एन.एल. के सामने)	8
11	जी. पी. ओ. गोलंबर से आर. ब्लॉक तक	200
12	हार्डिंग रोड (बाल संरक्षण आयोग के नजदीक)	300
13	वीरचंद पटेल पथ	150

पटना रेडियो स्टेशन के कम्पाउण्ड से सटे फूटपाथ (फ्रेज़र रोड)

लक्षमण कुमार जिसकी उम्र 25 वर्ष है पिछले 20 वर्षों से पटना में कूड़ा चुनता है और फुटपाथ पर सोता है। लक्ष्मण के अनुसार 20 वर्ष पहले पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां के साथ सिलिगुड़ी से पटना आ गया। दोनो मां–बेटे कुड़ाचुनकर अपना जीवन–यापन करने लगे। दो–तीन साल बाद उसकी मां की मृत्यु हो गयी। पटना स्टेशन पर, मंदिरों में भीख मांगकर पेट भरते हैं। फिर कुड़ा चुनने लगे। इसी तरह कुड़ा चुनने वाली एक अनाथ लड़की 'गौरी' से शादी कर ली। अभी मेरे पास 1 लड़की और 1 लड़का है। 2–3 साल से इसी फूटपाथ पर टेंट डालकर रहता हूँ। जिस दिन जुलूस आदि निकलता है, पुलिस हमारे टेंट को नोच देती है और हमारा सामान रोड पर फेंक दिया जाता है। एक–दो दिन बाद हम वापस यहीं पर अपना टेंट लगा लेते हैं।

कांती देवी, उम्र 35 वर्ष, ने बताया कि वे कैली, धनरुआ थाना, जिला– पटना से 3 साल पहले सपरिवार पटना आयीं। इनके परिवार में 9 सदस्य हैं जिनमें 3 महिला, 3 पुरुष व 3 बच्चे हैं। परिवार के सभी सदस्य कुड़ा चुनते हैं और खुले आसमान में फूटपाथ पर सोते हैं। गांव में इनकी कोई संपत्ति नहीं है। वहां से भूखमरी की स्थिति में ये लोग पटना आ गये।

लाखपति देवी 55 वर्ष की एक वृद्ध महिला हैं। सर्वे के दौरान ये हमारी टीम के पास आयी और कंबल की मांग करने लगीं। उस वक्त ठंढ से बचने के लिये एक पतला सा फटा चादर ओढ रखा था, इनके पैर में चप्पल नहीं थी। लाखपति देवी ठंढ से बुरी तरह कांप रही थीं। पुछने पर उन्होंने बताया कि उनका कोई नहीं है। वे भीख मांगकर खाती हैं और कहीं भी सड़क के किनारे रात गुज़ार लेती हैं। हर साल किसी तरह जीवन और मौत से लड़ते हुये ठंढ गुजारती हैं।

गांधी मैदान, एस.बी.आई. के सामने

मो0 कयामुद्दीन 2 वर्ष पहले बेगूसराय से पटना आ गये। वे यहां रिक्शा चलाते हैं। उनकी उम्र 40 वर्ष है। उनके अनुसार वे रात में सड़क पर ही सोते हैं। वे 100–150 रुपये प्रतिदिन कमाते है। इसमें 30 रुपये रिक्शा मालिक को देना पड़ता है, 60–70 रुपये खाना पर खर्च करते हैं। शेष 50–60 रुपये बचा कर महिने में 1500–1600रु. घर भेजते हैं। बेगूसराय में घर के अलावे उनके पास कोई जमीन नहीं है। उनका नाम बी.पी.एल. में नहीं होने की वजह से उन्हें अनाज भी खरीदना पड़ता है। उनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं।

राजू, बांसघाट, काली मंदिर, पटना के पास भीख मांगते हैं। राजू की उम्र 30 वर्ष है। वह दरभंगा का रहने वाला है। उसने बताया कि वह बचपन से ही भीख मांगता है। उससे यह पूछने पर कि वह मंदिर के पास ही क्यों नहीं सो जाता तो राजू ने कहा कि वहां के दूकानदार भगा देते हैं। वह प्रतिदिन 20–30 रुपये भीख मांगकर कमा पाता है।

गांधी मैदान, ट्वींस टावर के सामने

पवितरी देवी ने बताया कि वे मसौढ़ी की रहने वाली हैं और 1 दिन पहले ही पटना आयी हैं। वे मसौढ़ी में सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहती हैं। वे बीन जाति की हैं। किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि ठंढ में पटना में जगह–जगह पर कम्बल बांटे जाते हैं। वह कंबल लेने पटना आयी थी। उसने कहा कि कंबल तो मिला नहीं, आज पूरी रात सड़क पर ही बिताना पड़ेगा। उनके साथ दो छोटे बच्चे भी थे जो उनके बगल में प्लास्टिक के बोरे पर ठिठूर कर बैठे थे और कांप रहे थे। उनके पास ही उनके साथ उनके 3 अन्य उनकी पड़ोसी महिलायें भी कंबल लेने पटना आये थे।

गांधी मैदान, रिजेंट सीनेमा हॉल, इंडिया होटल के सामने

सर्वे के दौरान रात्री 11 बजे लगभग 100 से अधिक लोग सड़क के किनारे जमीन पर सो रहे थे। राकेश कुमार, जिसकी उम्र लगभग 20 होगी, ने बताया कि वह 5 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश से पटना आया था। शुरु–शुरु में वह पेट पालने के लिये होटलों में काम करता था कई बार उसे भीख भी मांगने पड़े। अभी वह पुराने कपड़ों की फेरी करता है। उसकी दैनिक आमद 100 से 150 रुपये हैं। राकेश ने बताया कि यहां सोये अधिकांश लोग भीख मांगते हैं अथवा कूड़ा चुनते हैं। कुछ रिक्शा चलाने वाले भी सो जाते हैं। अक्सर पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है। उनके पास सोने का दूसरा स्थान नहीं है, मजबूरन वे सभी दुबारा वहीं आकर सो जाते हैं। उसने कहा कि हमें सरकार से कोई सहायता तो दी नहीं जाती उल्टे हमें यहाँ से वहाँ खदेड़ दिया जाता है।

बी.एन. कॉलेज के पास, अशोक राजपथ

राजू कुमार जो खगड़िया जिला के रहने वाले हैं, पटना में 20 वर्षों से रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो रिक्शा चालकों के रात्री विश्राम के लिये रैन बसेरा बनवाया था। बाद में उसपर दबंगों ने कब्जा जमा लिया। अब वहां हमलोगों को नहीं रहने दिया जाता। मैं, रात में फूटपाथ पर ही किसी तरह रात गुजारता हूँ।

करबिगहिया, पटना जंक्शन ऑटो व कार पार्किंग

जस्सी, उम्र 20 ने बताया कि वे कई सालों से पटना में रह रही हैं। कबिगहिया का यह पार्किंग जब बन रहा था तो हम लोगों ने इसमें मजदूरी की थी। अभी हम पुरे परिवार कुड़ा चुनकर अपना पेट भरते हैं। इनके पति का नाम विनोद बिंद है। ये मसौढ़ी के रहने वाले हैं। गाव में कोई संपत्ति नहीं है। यहां से भगाने के लिये बार–बार रेलवे पुलिस द्वारा आधी रात में भी हमलोगों का तंबू नोच दिया जाता है, और सबकी

पिटाई भी की जाती है। हमलोग कहां जायें कुछ समझ में नहीं आता। मजबूरी में वापस यहीं आकर रात गुजारना पड़ता है।

कंचन देवी की उम्र 30 वर्ष है तथा उनके पति का नाम सुबोध कुमार झा है। ये बिदुपुर, हाजीपुर के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि उनके पति का दो वर्ष पहले किडनी खराब हो गया, अभी इलाज चल रहा है। वे कमा नहीं सकते हैं उनकी जगह कंचन देवी को ही मजदूरी आदि करना पड़ता है। पहले घूम–घूम कर चाय बेचते थे, परन्तु पुलिस वाले पैसा मांगते थे और गांलियां भी देते थे। तंग आकर हमने चाय बेचना छोड़ दिया, अभी कुड़ा चुनकर अपना परिवार चलाती हैं। इन्हें 1 लड़का व 2 लड़कियां हैं। रेलवे पुलिस द्वारा हमलोगों को अक्सर यहां से खदेड़ दिया जाता है, हमारा सामान फेंक दिया जाता है। हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलता।

पटना जंक्शन, रिक्शा स्टैंण्डः

रिक्शा चालक दिलीप कुमार, उम्र 22 वर्ष बताते हैं, कि वे पिछले 1 वर्ष से पटना में रिक्शा चलाते हैं। वे बाढ के रहने वाले हैं। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद वे रात्री में अपने रिक्शे पर ही किसी तरह सिमट कर सो जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही कष्टकर होता है, क्योंकि पूरे रात रिक्शे पर सिमट कर सोने से पुरे बदन में दर्द हो जाता है, पर क्या करें मजबूर हैं। पटना जंक्शन के पास रिक्शा लगाकर सोने से कभी–कभी रात में पुलिस डंडे से मार कर भगा देती है या रिक्शा के टायर की हवा निकाल देते हैं। रैन बसेरा में हम लोगों को नहीं सोने दिया जाता है।

महालेखागार भवन, वीरचंद पटेल पथ

नन्हक पासवान की उम्र 40 वर्ष है। ये पिछले 20 वर्षों से पटना में रिक्शा चलाते हैं। इनका स्थायी निवास वैशाली जिला है, जहाँ इनके परिवार रहते हैं। गांव में रहने के लिये घर के अलावे इनके पास कोई जमीन नहीं है। नन्हक पासवान ने बताया कि इन्हें सरकार द्वारा बनवाये गये रैन बसेरा में नहीं रहने दिया जाता क्योंकि वहां कुछ दबंग लोग कब्जा जमा के रहते हैं और वे किसी अन्य रिक्शा चालक को वहां नहीं रहने देते। पटना में रहने का कोई आसरा नहीं होने के कारण मजबूरन इन्हें रात फुटपाथ पर गुजारनी पड़ती है। इन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम रात में इनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2012 को प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोगों के लिये तात्कालिक टेंट, रजाई/कंबल, गर्म कपड़े आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। पटना जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22 दिसंबर को दूरभाष पर सिनियर रिसर्चर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार को जानकारी दी गई कि आपदा प्रबंधन विभाग से पटना में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिये 2 लाख रुपये मुहैया करायी गई है। इसके

साथ ही उन्होंने बताया कि पटना नगर निगम द्वारा भी कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है।

दिनांक 22 दिसंबर 2012 को सर्वे के दौरान पटना जंक्शन रिक्शा पड़ाव तथा हनुमान मंदिर के सामने एवं आर ब्लॉक चौराहा पर रैनबसेरा के सामने अलाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई थी। पटना जंक्शन के समीप अलाव तापते लोगों ने बताया कि पिछले दो दिनों से अलाव के लिये लकड़ी उपलब्ध करवायी जा रही है।

बिहार में बेघरों के लिये आश्रयगृह

राज्य में कुल 51 स्थायी तथा 14 तात्कालिक रैनबसेरा हैं। सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा आश्रयगृहों का दिसंबर 2012 में किये गये सर्वे रिर्पोट से पता चलता है कि लगभग सभी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर तथा पंजीकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकांश आश्रयगृहों में लोगों को शौचालय के लिये भुगतान करना पड़ता है।

बिहार में बेघरों के लिये निर्मित सभी रैनबसेरा जो प्रारंभ में यात्रीशेड था, का निर्माण 1992 में कराया गया था। वर्तमान में माननीय कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार द्वारा संयुक्त निरिक्षण के दौरान इन्हीं रैनबेसेरों को बेघरों के लिये आश्रयगृह के रुप में दिखाया गया है।

भारत में बेघरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के सरकारों को दिनांक 10 फरवरी 2010 को दिये गये आदेश में कहा गया कि प्रत्येक शहर जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक है, में प्रति 1 लाख की आबादी पर 100 बेघरों के रहने के लिये आवश्यक सुविधायुक्त आश्रयगृहों का निर्माण करवायी जाये। यह आश्रयगृह वर्षपर्यंत 24 घंटों के लिये खुला होगा। जहाँ पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर, पंजीकरण व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था होगी।

आश्रयगृहों की स्थिति

पटना में सचिवालय तथा चीना कोठी स्थिति आश्रयगृहों की छत एवं दिवालें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वह कभी भी गिर सकता है। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि कभी–कभी छत से सिमेंट के बड़े टुकड़े गिरते हैं जिससे घायल होने की संभावना बनी रहती है। आश्रयगृहों के बाहर नाली का गंदा पानी बहता है, शौचालय एवं पेयजल की स्थिति भी काफी खराब है।

गया में दिनांक 24, दिसंबर 2012 को सलाहकार कार्यालय के रिसर्चरों द्वारा आश्रयगृहों का किये गये सर्वे के दौरान 6 में से 5 आश्रयगृह बंद पाये गये। आश्रयगृह संख्या 5 के केयरटेकर ने कहा कि यहां रात्री में लोग ठहरते हैं। उसने बेघरों के लिये पंजीयन रजिस्टर दिखाया जिसमें केवल 7 लोगों का नाम लिखा था। आश्रयगृह संख्या 3 के आसपास के लोगों ने बताया कि आश्रयगृह को केयरटेकर द्वारा स्थानीय वेंडरों के सामान रखने में उपयोग किया जाता है जिसके लिये उनसे पैसे लिये जाते हैं।

इसके पश्चात् दिनांक 07 जनवरी 2011 के आदेश के आलोक में बिहार सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई और बिहार के विभिन्न शहरों में सरकार द्वारा बनवाये गये आश्रयगृहों का संयुक्त निरिक्षण किया गया। माननीय कोर्ट द्वारा दिये गये एक अन्य आदेश में सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्दिष्ट किया गया कि एक मानव के रुप में सभी बेघरों के लिये जो सड़क के किनारे फूटपाथ पर सोते हैं के लिये उनकी संख्या के आधार पर सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ नये आश्रयगृह का निर्माण करायी जाये। इसके बाद विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथपत्र से असंतुष्ट कोर्ट ने 6 जनवरी 2012 तक दुसरा शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी तथा राज्य सलाहकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त निरिक्षण टीम गठित की गई। टीम द्वारा बिहार के 20 शहरों *(पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, बेगुसराय, बिहारशरीफ, कटिहार, दानापुर, सासाराम, डिहरी, हाजीपुर, सिवान, मोतिहारी, बेतिया)* के सभी 65 रात्री विश्राम गृहों का निरिक्षण किया गया। इस बीच बिहार सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवायी के दौरान शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बिहार सरकार ने माननीय कोर्ट के आदेश के आलोक में सुनवायी के 6 माह के भीतर राज्य में सभी बेघरों का सर्वे करवा कर संख्या के आधार पर सभी आवश्यक सुविधाओं से लैश आश्रयगृहों का निर्माण करने की बात कही।

दिनांक 23.01.2012 को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार बिहार के 20 शहरों में आश्रयगृहों के स्थिति का पता लगाने के लिये नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अपने सभी नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 1–3 फरवरी तक राज्य सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा आश्रयगृहों को निरिक्षण किया जायेगा जिसमें उनका समुचित सहयोग किया जाये।

इस निरिक्षण के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह कहा कि लगभग सभी आश्रयगृहों में माननीय कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर, पंजीकरण आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव है। इन आश्रयगृहों में बहुत कम संख्या में बेघर लोग रात्री में रुकते हैं। कई आश्रयगृह अतिक्रमण का शिकार हैं।

बिहार में बेघरों के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार द्वारा किये गये पहलः

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा दिसंबर 2012 में पटना, गया, आरा एवं अन्य शहरों में किये गये निरिक्षण से भी यह बात सामने आयी है कि अभी भी राज्य में लगभग सभी रात्री विश्रामगृहों की स्थिति पिछले वर्ष की तरह ही है। दिनांक 24 दिसंबर को सलाहकार कार्यालय के प्रतिनिधी फादर जोस के. तथा रिसर्चर प्रतिभा कुमारी द्वारा 'गया' में सभी 6 रात्री विश्रामगृहों का निरिक्षण किया गया। सभी विश्रामगृह बंद पाये गये। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि आश्रयगृहों में दुकानदारों के सामान को रखा जाता है और इसके लिये उनसे आश्रयगृहों पर नियुक्त केयर–टेकर द्वारा पैसे ली जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त एवं उनके राज्य सलाहकार के तरफ से राज्य में बेघरों की संख्या के आधार पर आश्रयगृहों के निर्माण के संदर्भ में नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव तथा राज्य में चिन्हित सभी 20 शहरों के नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ पत्राचार एवं बैठकें की गई। दिनांक 22 जून 2012 को बिहार सरकार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें श्री सुधीर कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार श्री संदीप चाचरा, बेघरों के मुद्दे पर माननीयय कोर्ट के राष्ट्रीय सलाहकार, श्री रुपेश, माननीय कोर्ट के राज्य

सलाहकार, विनय ओहदार, एक्शन एड एवं श्री बहादुर उपस्थित थे। बैठक में यह तय किया गया कि दिनांक 7 अगस्त 2012 को विभाग द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं सलाहकार के प्रतिनिधियों का एक कार्याशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें पुराने आश्रयगृहों का पुर्ननिर्माण व नये आश्रयगृहों के मॉडल पर चर्चा की जायेगी एवं माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार आश्रयगृहों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जायेगा।

इसके बाद अगस्त 2012 के आखिरी सप्ताह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त श्री हर्षमंदर द्वारा पटना के आश्रयगृहों का निरिक्षण किया गया एवं उस संबंध में नगर विकास विभाग तथा अन्य विभाग के प्रधानसचिव के साथ बैठक की गई। इसमें नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा कहा गया कि इस वर्ष दिसंबर से पहले विभाग द्वारा सभी पुराने आश्रयगृहों का पुर्ननिर्माण कर तमाम आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवा दी जायेगी।

दिनांक 6 सितंबर 2012 को आवास एव नगर विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों का उन्मुखिकरण कार्यक्रम का आयोजन विभाग के कॉन्फ्रेन्स हॉल में किया गया। इस अवसर पर बेघरों की पहचान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई बेघरों की परिभाषा, आश्रयगृहों के निर्माण न्यायालय के निर्देशानुसार बेघरों के आश्रयगृहों के लिये बुनियादी सुविधायें, बेघरों के कल्याण के लिये केन्द्र सरकार की योजनाओं आदि पर चर्चा करने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के प्रतिनिधी तथा राज्य सलाहकार ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विभाग के प्रधान सचिव ने सभी नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द–से–जल्द चिन्हित शहरों में बेघरों का सर्वे पुरा कर उनके संख्या के आधार पर पुराने आश्रयगृहों का नवनिर्माण तथा नये आश्रयगृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों द्वारा आश्रयगृहों के निर्माण संबंधी कार्यक्रम एवं मार्गदर्शिका के आधार पर बेघरों के लिये आश्रयगृहों में निम्नलिखित सुविधायें एवं व्यवस्था होनी चाहियेः

1. आश्रयगृहों के निर्माण बेघरों के आमदनी के स्रोत के नजदीक होनी चाहिये।
2. आश्रयगृहों में प्रत्येक व्यक्ति के लिये कम–से–कम 3.5 वर्ग मी. की जगह होनी चाहिये।
3. महिला, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों आदि के लिये उनकी सुविधानुसार अलग से आश्रयगृहों का निर्माण।
4. बेड एवं बिस्तर (ठंढ से बचने के लिये कंबल आदि) की समुचित व्यवस्था।
5. पीने का स्वच्छ पानी, स्नानागार, शौचालय की समुचित व्यवस्था। इसमें प्रत्येक 12 व्यक्ति पर एक स्नानागार एवं शौचालय सुनिश्चित हो।
6. बेघरों के सामानों की रक्षा के लिये प्रत्येक बेघर के लिये अलग–अलग लॉकर की व्यवस्था हो।
7. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें एवं नशा विमुक्ति केन्द्र से लिंक हो। डॉक्टरों का साप्ताहिक भ्रमण एवं स्वास्थ्य जांच।
8. बेघरों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाये जैसे– बी.पी.एल., पी.डी.एस., आइ.सी. डी.एस., पेंशन योजना, वोटर कार्ड, बैंक/पोस्टऑफिस एकाउंट, मातृत्व लाभ योजना, बीमा योजना आदि।
9. सस्ते दामों में भोजन अथवा सामुदायिक रसोई की व्यवस्था, जिसमें स्वच्छता, समानमा, सम्मान एवं पौष्टिकता को ध्यान में रखा जाये।
10. सभी आश्रयगृहों पर पता लिखा बोर्ड होना चाहिये जिसपर केयरटेकर का नाम, पता व दूरभाष संख्या अंकित हो।

11. बेघरों द्वारा आश्रयगृहों का लाभ उठाने के लिये समुचित प्रचार–प्रसार की व्यवस्था जिसमें विभिन्न माध्यमों जैसे– बोर्ड, बैनर, टी.वी., पर्चे, स्वयंसेवकों, रिक्शा, ऑटो व बस आदि के पीछे पोस्टर/बैनर का उपयोग किया जाये।
12. कुल आश्रयगृहों का 5 प्रतिशत वंचित समुदाय के लिये हो।
13. बेघर व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसकी जाँच एक्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा सी.पी.सी. 1973 के तहत की जाये।
14. प्रत्येक आश्रयगृहों पर 1 समन्वयक, 1 सोशल मोबिलाइजर, 2 होम मैनेजर, 2 सैनिटरी स्टाफ तथा 2 सेक्यूरिटी गार्ड की तैनाती हो।
15. प्रत्येक आश्रयगृहों पर एक ''शेल्टर मैनेजमेंट कमीटी' का निर्माण हो जिसका चुनाव हर 6 माह पर सुनिश्चित किया जाये।
16. एक शिकायत निवारण प्रणाली का निर्माण हो जहाँ तय समय में शिकायत का निवारण सुनिश्चित हो।
17. आश्रयगृहों के प्रबंधन एवं संचालन में पारदर्शिता।
18. समय–समय पर समाजिक आंकेक्षण की व्यवस्था।

बेघरों की समस्या को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं इनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों के राज्य सलाहकार कार्यालय द्वारा निम्नलिखित अनुशंसायें की जाती हैं–**

1. कड़ाके की ठंढ को ध्यान में रखते हुये तथा फुटपाथ पर सोने वालों की संख्या को ध्यान में रखते हुये तात्कालिक टेंट की व्यवस्था की जानी चाहिये।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में जल्द–से–जल्द आबादी के हीसाब से आवश्यक सुविधाओं जैसे– पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, बिजली, दरी, चादर, कंबल, लॉकर सुविधा, सस्ता भोजन अथवा सामुदायिक रसोई, लॉकर सुविधा, हेल्थ कार्ड, जान–माल की सुरक्षा, फुलटाईम केयर–टेकर, पंजीकरण व्यवस्था आदि के साथ स्थायी आश्रयगृहों का निर्माण करायी जानी चाहिये।
3. बेघरों द्वारा आश्रय गृहों का उपयोग बढ़ाने के लिये इसका समुचित प्रचार प्रसार की जानी चाहिये।
4. आरंभ में बेघरों, फूटपाथ पर सोने वालों को वाहन द्वारा फूटपाथ व सार्वजनिक स्थानों से आश्रय गृहों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
5. शहरों में उन स्थानों को चिन्हित किया जाये जहाँ अधिक संख्या में बेघर फुटपाथ पर सोते हैं।